

## कार्यालय उप वन संरक्षक, बाड़मेर

कार्यालय का पता : लीलाधोरा नर्सरी, वन विभाग परिसर, राय कॉलोनी, बाड़मेर

Phone No.: 02982-220442

E-mail : dcf.bmr.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ( )एफसीए/उवसं/2025/

दिनांक

उप प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड,  
रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय,  
जोधपुर-342005

विषय : Diversion of 0.1962 ha. forest land in favour of Hindustan Petroleum corporation Ltd. jodhpur for construction of Approach Road for proposed Hindustan Petroleum corporation Ltd. retail outlet on jaisalmer-bikaner city road NH-68 Between Km stone no.163&164 (chainage-163/616 to 163/576) RHS in khasra No. 2466/699, At village- Mahabar Peethal, Tehsil barmer, District Barmer, Rajasthan (FP/RJ/ROAD/48584/2020)

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्र क्रमांक प.1(44)वन/2021 जयपुर, दिनांक 08.10.2021 व अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14(428/36)2020/एफसीए/प्रमुवसं/3781-82 दिनांक 03.01.2022 व इस कार्यालय का पत्रांक 831 दिनांक 03.02.2022 एवं पत्रांक 8499 दिनांक 05.12.2022 व पत्रांक 1086 दिनांक 21.10.2025 आपका पत्रांक दिनांक 27. 10.2025।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य सरकार द्वारा जारी सैध्दान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पालना हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 830 दिनांक 03.02.2022 से मांग पत्र जारी किया गया था। वर्तमान में श्रमिक दर रुपये 259/- रुपये से बढ़ाकर 285/- प्रतिदिन कर दी गई है जिसके कारण बढी हुई दर से अन्तर की राशि जमा करवाई जानी है। जो निम्नानुसार राशि जमा करावे :-

क्र.सं	साईट का नाम	पूर्व में (@ 259 प्रति मानव दिवस की दर से)	वर्तमान मांग राशि (@ 285 प्रति मानव दिवस की दर से)
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण CA (DFL)	103600	114000
2.	NPV	85936	131481
	<b>Total</b>		<b>2,45,481</b>

उक्त कुल (114000+131481= **245481**) राशि जरिये वेबपोर्टल OSMFCP द्वारा सृजित ई-चालान से ऑन-लाईन द्वारा जमा करवा कर (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) इस कार्यालय को प्रेषित करावे, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान सरकार द्वारा जारी सैध्दान्तिक स्वीकृति में दी गई समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र अविलम्ब प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

(सविता दहिया, IFS)  
उप वन संरक्षक  
बाड़मेर

क्रमांक: एफ ( )एफसीए/उवसं/2025/

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
- संभागीय मुख्य वन संरक्षक जोधपुर।
- जिला कलक्टर, बाड़मेर।
- सहायक वन संरक्षक बाड़मेर।
- क्षेत्रीय वन अधिकारी शिव को दि जाकर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य किसी भी सूत्र में नहीं होने देना सुनिश्चित करावे।

